समाहरणालय, मधेपुरा

(आपदा प्रबंधन शाखा)

पत्रांक 204..../आ0प्र0

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला
सभी अंचल अधिकारी, मधेपुरा जिला
सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा जिला

मधेपुरा, दिनांक 2.5.15

विषय :- **अतिवृष्टि, ओलावृष्टि एवं चक्रवातीय तूफान से प्रभावित फसल क्षति के सर्वेक्षण प्रतिवेदन में त्रुटि के संबंध में।**

प्रसंग :- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा का पत्रांक 961-2 दिनांक 05-05-2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा ने सूचित किया है कि अतिवृष्टि, ओलावृष्टि एवं चक्रवातीय तूफान से प्रभावित कुमारखंड प्रखंड का फसल क्षति सर्वेक्षण प्रतिवेदन में कतिपय त्रुटियां पाई गई है। साथ ही इस अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत सभी अंचल अधिकारियों के साथ की गई बैठक में भी अंचलाधिकारियों द्वारा कुछ त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है, जो निम्नवत है :-

- अच्छादित क्षेत्र /प्रभावित क्षेत्र का प्रतिवेदन में उल्लेख नहीं किया जा रहा है एवं कई पंचायतों में अच्छादित क्षेत्र के रकवा का निर्धारण समान अनुपात में किया जा रहा है।
- जमीन का लगान रसीद की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं किया जा रहा है तथा रकवा के संबंध में भी त्रुटि रहती है।
- जिस लगान रसीद को दिखाकर कृषि क्षति को प्राप्त करने का आवेदन दिया जा रहा है, वह रैयत द्वारा किसी अन्य के पास बेच दिया गया है। इस प्रकार एक ही जमीन का दावा क्रेता और विक्रेता दोनों के द्वारा किया जा रहा है।
- यह भी देखने में आया है कि एक ही रसीद और जमीन को दिखाकर पति /पत्नी और पुत्र /पुत्रियों द्वारा भी समान जमीन के फसल क्षति का दावा किया जा रहा है।
- किसी-किसी मौजा में खेसरा की कुल संख्या से डेढ़ गुणा अधिक आवेदकों द्वारा क्षतिग्रस्त फसल का दावा किया जा रहा है। साथ ही मौजे की कुल रकवा से अधिक क्षतिग्रस्त फसल का रकवा दिखाया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षित सूची का सत्यापन राजस्व अभिलेख, लगान रसीद के आधार पर एवं स्थलीय निरीक्षण के उपरांत ही करना सुनिश्चित किया जाय तदोपरांत ही कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। सत्यापन में अनियमितता पाये जाने पर अविलंब दोषी कर्मियों को चिन्हित करते हुए अवगत कराया जाए।

विश्वासभाजन

ह0/- 2/05/15

जिलाधिकारी
मधेपुरा।